न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0

विविध अपील संख्या 41/2025

अपीलांट –	*बनाम*	रेस्पोडेंट –
मोहनलाल पुत्र श्री कानाराम जाट जटिया निवासी जटियों का वास, वार्ड संख्या 19, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर		राजकुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति जटिया निवासी जटियों का वास वार्ड संख्या 14, बाड़मेर तहसील व जिला बाडमेर

विविध अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर बमुकदमा 01/2025 दिनांक 14.07.2025

उपस्थिति :–
1. श्री संजय कुमार सोनी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश सोनी, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03.06.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट असहाय वरिष्ठ नागरिक मोहनलाल द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह एक गरीब एवं वृद्व व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 वर्ष है। जिसने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र उतरदाता की उचित परवरिश कर उसकी नौकरी लगने तक भरण पोषण किया व शिक्षा हेतु उचित व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप उतरदाता सरकारी अध्यापक के पद पर पदस्थापित है। वर्तमान में वह अध्यापक के पद पर कार्यरत है जिसे राज्य सरकार द्वारा 60,000/–रूपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। अपीलकर्ता पूर्व में कमठे की मजदूरी करता था वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। वर्तमान में अपीलकर्ता वृद्ध हो गया है व कई बार बीमारियों से घिरे गये है जिस कारण उसमें मजदूरी करने की शारीरिक क्षमता नहीं रही है व अपीलकर्ता का उसके घर से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उतरदाता ने बेदखल कर दिया है व उसका भरण पोषण भी बंद हो गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा दर्ज कर रेस्पोडेंट्स को जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2025 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना–पत्र में आदेशित किया कि अपीलांट मोहनलाल को वार त्यौहार पर 2000/–अक्षरे दो हजार रूपये दिये जाने हेतु उतरदाता को पांबद किया जावे। अतः प्रार्थी माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 12 के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.07.2025 को प्रस्तुत की गई है साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गए है।

2. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेंट जरिये नोटिस तलब किये एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया।

3. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2025 को पारित करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर उतरदाता को नोटिस के लिए तलब किया गया व बाद सुनवाई दिनांक 14.07.2025 को अपीलांट को बिना कोई भरण पोषण दिये गलत तरीके से अपना निर्णय किया जो विधि विरूद्व है। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय के दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात एक निश्चित रकम अपीलकर्ता को दिलाये जाने का आदेश दिया जाना था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में तथ्यों एव विधि की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट के प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार उचित सुनवाई नहीं की गई। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इसके साथ ही अपीलांट को 10,000 रूपये मासिक भरण पोषण राशि उतरदाता से दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

4. रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि उतरदाता द्वारा अपीलांट की सार–संभाल एवं उसके खाने दवाईयों एवं वार त्यौहार पर विप्रार्थी 2000/–अक्षरे दो हजार रूपये प्रार्थी को हर त्यौहार पर उपलब्ध दिये जाते हैं। इसके साथ ही प्रार्थी की बहन बेटी आने पर उसको सम्भाल कपडे एवं खर्ची इत्यादि दे सके। प्रार्थी के सम्पूर्ण जीवन में दवाईयों एवं आवश्यकता का खर्चो उतरदाता द्वारा निर्वहन किया जाता है। उतरदाता की माता यानि प्रार्थी की पत्नी का सम्पूर्ण खर्चो उतरदाता द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी उतरदाता से इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

5. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों को अद्योपान्त अध्ययन किया जिससे पाया जाता है कि अपीलांट असहाय वरिष्ठ नागरिक मोहनलाल द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह एक गरीब एवं वृद्व व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 वर्ष है। जिसने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र उतरदाता की उचित परवरिश कर उसकी नौकरी लगने तक भरण पोषण किया व शिक्षा हेतु उचित व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप उतरदाता सरकारी अध्यापक के पद पर पदस्थापित है। वर्तमान में वह अध्यापक के पद पर कार्यरत है जिसे राज्य सरकार द्वारा 60,000/–रूपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। अपीलकर्ता पूर्व में कमठे की मजदूरी करता था वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। वर्तमान में अपीलकर्ता वृद्ध हो गया है व कई बार बीमारियों से घिरे गये है जिस कारण उसमें मजदूरी करने की शारीरिक क्षमता नहीं रही है व अपीलकर्ता का उसके घर से उतरदाता ने बेदखल कर दिया है व उसका भरण पोषण भी बंद हो गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा दर्ज कर रेस्पोडेंट्स को जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2025 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना–पत्र में आदेशित किया कि अपीलांट मोहनलाल को वार त्यौहार पर 2000/–अक्षरे दो हजार रूपये दिये जाने हेतु उतरदाता को पांबद किया जावे। अतः प्रार्थी माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 12 के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.07.2025 को प्रस्तुत की गई है साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गए है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2025 को पारित करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर उतरदाता को नोटिस के लिए तलब किया गया व बाद सुनवाई दिनांक 14.07.2025 को अपीलांट को बिना कोई भरण पोषण दिये गलत तरीके से अपना निर्णय किया जो विधि विरूद्व है। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय के दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात एक निश्चित रकम अपीलकर्ता को दिलाये जाने का आदेश दिया जाना था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में तथ्यों एव विधि की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट के प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार उचित सुनवाई नहीं की गई। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। इसके साथ ही अपीलांट को 10,000 रूपये मासिक भरण पोषण राशि उतरदाता से दिलाने का आदेश प्रदान करावें। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि उतरदाता द्वारा अपीलांट की सार–संभाल एवं उसके खाने दवाईयों एवं वार त्यौहार पर विप्रार्थी 2000/–अक्षरे दो हजार रूपये प्रार्थी को हर त्यौहार पर उपलब्ध दिये जाते हैं। इसके साथ ही प्रार्थी की बहन बेटी आने पर उसको

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सम्भाल कपडे एवं खर्ची इत्यादि दे सके। प्रार्थी के सम्पूर्ण जीवन में दवाईयों एवं आवश्यकता का खर्चो उतरदाता द्वारा निर्वहन किया जाता है। उतरदाता की माता यानि प्रार्थी की पत्नी का सम्पूर्ण खर्चो उतरदाता द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी उतरदाता से इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों को अद्योपान्त अध्ययन किया जिससे पाया जाता है कि उतरदाता द्वारा अपीलांट की सार–संभाल एवं उसके खाने दवाईयों एवं वार त्यौहार पर विप्रार्थी 2000/–अक्षरे दो हजार रूपये प्रार्थी को हर त्यौहार पर उपलब्ध दिये जाते हैं जबकि अपीलकर्ता को माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत एक मासिक निश्चित रकम दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश अस्पष्ट एवं निश्चित रूप से भरण–पोषण की व्यवस्था नहीं किये जाने से आदेश बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई अवसर दिया जाकर एवं प्रकरण को पुनः नये सिरे से कार्यवाही की जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

7. निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

जिला कलेक्टर
बाड़मेर